UPBN010051992026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1885/2026

इरफान बनाम राज्य

मु०अ०सं०–283/2026
धारा–333, 76,124(2)352,191(2), 115(2),351(3) बी०एन०एस०
थाना–बिसौली, जिला–बदायूँ।

25–08–2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **इरफान** की ओर से थाना–**बिसौली,** जिला–बदायूँ में पंजीकृत **मु० अ० सं०–283/2026, धारा–333, 76, 124(2), 352, 191(2), 115(2), 351(3) बी०एन०एस०** के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा गुड़िया की ओर से थाना–बिसौली, जिला–बदायूँ पर इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनाँक 13–06–2026 दिन शनिवार को मुल्जिमान इरफान ने मेरी बहन आजरीन को काफी बार मोबाइल कॉल करके बोला अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे और अपने–आपको जहर या तेजाब पिलाकर जान से मार दूंगा। मेरी बहन आजरीन ने इसे काफी समझाया, परंतु वह नहीं माना। तभी अगले दिन दिनाँक 14–06–2026 की सुबह करीब पाँच बजे मेरी बहन आजरीन घर में सो रही थी। तब इरफान हमारे घर में घुस आया और मेरी बहन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। आजरीन ने विरोध किया तो इरफान ने बुरा काम करने के लिए उसके कपडे फाड दिये तथा मेरी बहन आजरीन ने इरफान को सम्बन्ध बनाने से साफ इनकार किया तो इरफान बौखला गया और काफी गुस्से में आकर इरफान ने जबरदस्ती मेरी बहन आजरीन को तेजाब पिला दिया। जिससे बहन तडपने लगी तथा चीख पुकार पर मोहल्ले व परिवार के लोग जाग गये। तभी मौका पाकर इरफान भाग निकला। इसी बात की शिकायत करने मेरी माँ उक्त मुल्जिमान के घर गई तो इरफान के घर वालों ने मेरी माँ को गन्दी–गन्दी गालियाँ दी और कहा कि चल हम देखते हैं। थोडी देर में मुल्जिमान के पिता अब्दुल हसन पुत्र मेहदी हसन व माता और इसके भाई शकील व बहन याशमीन, मुस्कान प्रार्थिनी के घर पर लाठी–डण्डा लेकर चढ़ आये और परिवार वालों को लात घूसों से मारापीटा और मेरी बहन आजरीन को कहने लगे कि तू इरफान के

Digitally signed by VIVEK SANGAL
Date: 2026.08.25 16:38:52 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साथ विवाह नहीं करेगी तो जिन्दा भी नहीं रहेगी। साली तू इसी तरह तडफ–तडफ कर मर जायेगी। तेरे मरने पर हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रार्थिनी के परिवार वाले आजरीन को इलाज हेतु सम्राट मल्टीस्पेलिटी चन्दौसी से टी०एम०यू० हास्पिटल मुरादाबाद को रैफर कर दिया था। जहा मेरी बहन आजरीन का इलाज चल रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। वादिनी के प्रार्थना–पत्र के आधार पर उक्त मामला अभियुक्तगण इरफान, अब्दुल हसन, इरफान की माता, शकील, यासमीन व मुस्कान के विरूद्ध थाना–बिसौली, जिला–बदायूँ पर मु०अ०सं०–283/2026, धारा–333, 76, 124(2), 352, 191(2),115(2),351(3) बी०एन०एस० के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है , प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। आजरीन पुत्री शकील प्रार्थी/अभियुक्त के मोहल्ले में रहती है तथा हम उम्र है तथा प्रार्थी व आजरीन एक–दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। प्रार्थी के मो० 8171707820 से आजरीन के मो०नं०– 9719133046 पर व्हाटसअप के द्वारा लगभग छः माह से बात हो रही थी तथा मैसेज भी एक दूसरे को भेजे जा रहे थे। प्रार्थी ने दिनांक 12.06.2026 को एक सिम एयरटेल नंबर–8791444910 व एक मोबाइल फोन स्वयं खरीद कर आजरीन को भेंट स्वरूप दिया था। उक्त फोन की मांग आजरीन ने अपनी बहन गुड़िया वादिनी के फोन पर मैसेज भेज कर की थी, जिसके मैसेज के स्क्रीनशॉट संलग्न जमानत प्रार्थना –पत्र हैं। दिनांक 13.06.2026 को प्रार्थी की कई बार आजरीन से बात हुई। दिनांक 13.06.2026 को शाम करीब 06:00 बजे अंतिम बार आजरीन ने प्रार्थी से फोन पर बात की। उसके बाद आजरीन के घरवालों ने आजरीन का फोन बात करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद दिनांक 14.06.2026 तक आजरीन से कोई बात नहीं हुई। आजरीन के साथ दिनांक 13.06.2026 की रात्रि को आजरीन के घरवालों ने मारपीट कर कोई घटना कारित की और प्रार्थी पर फर्जी घटना दिनांक 14.06.2026 की दर्शाकर गलत तरीके से तेजाब पिलाने का फर्जी आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट एक सुनियोजित योजना के तहत कानूनी मशवरा से थाना बिसौली पर दर्ज करा दी है। दिनांक 13.06.2026 की शाम को खलेरे भाई साहिद हुसैन के घर मय परिवार प्रार्थी शाह सहावर गया था और दिनांक 14.06.2026 को आला हजरत दरगाह पर चादर चढ़ाने ट्रेन से सुबह करीब 09:00 बजे गया था और फिर वापिस घर आ गया। प्रार्थी का मो0नं0–8171707820 प्रार्थी के साथ था, जिसकी लोकेशन से प्रार्थी की बिसौली में अनुपस्थिति एवं प्रार्थी के निर्दोष होने का पता चल सकेगा। दिनांक 15.06.2026 को 11:49 पी०एम० पर आजरीन ने अपने मो0नं0–8791444910 से प्रार्थी के मो0नं0– 8171707820 पर फोन करके बात की, लेकिन घरवालों ने फोन छीन लिया, जिसकी कॉल डिटेल का प्रिंट आउट संलग्न

जमानत प्रार्थना–पत्र है। उसके बाद दिनांक 16.06.2026 को प्रार्थी की आजरीन से बात हुई। एफ०आई०आर० में वर्णित जैसी कोई घटना आजरीन के साथ प्रार्थी ने घटित नहीं की है, न ही उसे तेजाब पिलाया है और न ही उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया है। प्रार्थी आजरीन से बेहद प्रेम करता है और उसे कैसे तेजाब पिला सकता है। यदि किसी स्त्री को तेजाब पिलाया जायेगा तो उसका बचना किसी भी तरह संभव नहीं है। प्रार्थी आजरीन के घर में सुबह 05:00 बजे कैसे प्रवेश कर सकता है, जबकि आजरीन के घर उसके माता, पिता, भाई, बहन साथ–साथ रहते हैं तथा घर में प्रवेश करने का एक ही मुख्य द्वार है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देखने से ही झूठी प्रतीत होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके सभी घरवालों की उपस्थिति में कैसे जोर जबरदस्ती कर सकता है और साथ ही तेजाब की बोतल लाकर कैसे पिला सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक माह विलंब से लिखाई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 02.07.2026 को प्रार्थी आजरीन के घर के सामने से समय करीब 01:30 बजे निकला। आजरीन व प्रार्थी को बात करते हुए उसके घरवालों ने देख लिया इसकी वजह से आजरीन के पिता शकील व मॉ शाकरा प्रार्थी को गालियाँ देने लगी, जिसकी वजह से प्रार्थी के विरूद्ध धारा 170, 126, 135 बी०एन०एस०एस० की कार्यवाही पुलिस थाना बिसौली द्वारा की गयी, जिसमें प्रार्थी जमानत करा चुका है। उक्त घटना के बाद उपरोक्त फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी के विरूद्ध थाना बिसौली पर वादिनी ने अंकित कराई है, जो देखने से ही झूठी प्रतीत होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी पर लगाये गये आरोप निराधार व असत्य हैं। पुलिस थाना–बिसौली द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी /अभियुक्त उचित धनराशि की जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य अथवा गवाहन के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा दबाव नहीं डालेगा। प्रार्थी के पलायन की संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

5– अभियोजन की ओर से **अपर** जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा की जाये।

6– मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्र मय केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में केस डायरी के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनाँक 13–06–2026 दिन शनिवार को इरफान द्वारा वादिनी की बहन आजरीन को काफी बार मोबाइल कॉल करके शादी करने को कहने और शादी न करने पर स्वयं व वादिनी की बहन को जहर या तेजाब पिलाकर जान से

मार देने की धमकी देने तथा वादिनी व उसकी बहन आजरीन द्वारा इरफान को काफी समझाने, परंतु अभियुक्त इरफान के न मानने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त अगले दिन दिनाँक 14–06–2026 की सुबह करीब पाँच बजे जब वादिनी की बहन आजरीन घर में सो रही थी तब इरफान को उनके घर में घुस आने और वादिनी की बहन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगने तथा आजरीन के विरोध करने पर इरफान द्वारा बुरा काम करने के लिए उसके कपडे फाड देने पर वादिनी की बहन आजरीन द्वारा इरफान के साथ सम्बन्ध बनाने से साफ इनकार करने पर इरफान के बौखला जाने और काफी गुस्से में आकर जबरदस्ती वादिनी की बहन आजरीन को तेजाब पिला देने तथा चीख पुकार पर घर वालों द्वारा जाग जाने और उक्त बात की शिकायत वादिनी की माँ द्वारा अभियुक्त के घर करने पर इरफान के घर वालों द्वारा वादिनी की माँ को गन्दी–गन्दी गालियाँ देने और थोडी देर में मुल्जिमान के पिता अब्दुल हसन पुत्र मेहदी हसन व माता और इसके भाई शकील व बहन याशमीन, मुस्कान प्रार्थिनी के घर पर लाठी–डण्डा लेकर चढ़ आने और परिवार वालों को लात–घूसों से मारने–पीटने और वादिनी की बहन आजरीन से इरफान के साथ शादी न करने पर जिंदा न रहने और तड़प तड़प कर मार जाने की बात कहने तथा आजरीन को इलाज हेतु सम्राट मल्टीस्पेलिटी चन्दौसी से टी०एम०यू० हास्पिटल मुरादाबाद को रैफर कर देने, जहाँ पर वादिनी की बहन आजरीन का इलाज चलने आदि तथ्य कहे गए हैं। केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में **पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस०** में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनाँक 13–06–2026 को वह अपने घर पर सो रही थी। तभी उसके घर पर **इरफान आया** और उससे कहने लगा कि उसके साथ चल, उसने (पीड़िता) शोर मचाया तो मौहल्ले वाले आये, इरफान को भगा दिया। फिर दिनाँक 14–06–2026 को सुबह करीब साढ़े पाँच बजे फिर आया,उसके घर पर बोलने लगा कि मेरे साथ चल, उसने (पीड़िता) मना कर दिया तो **उसके साथ जबरदस्ती करने लगा , उसके कपड़े भी फाड़ दिया, उसके जाने से मना करने की बात पर नाराज होकर उसे तेजाब पिला दिया**.....उसकी तबियत खराब होने के कारण उसके (पीड़िता) घरवाले डॉ० पुष्पेन्द्र के यहाँ दिखाने ले गए जो कस्बा बिसौली में है, उकसे बाद सम्राट हॉस्पिटल चन्दौसी लेकर गए, वहाँ से मुरादाबाद को रेफर कर दिया, अब उसका इलाज मुरादाबाद के जैन हॉस्पिटल से चल रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की **मेडिकल रिपोर्ट** में भी पीड़िता ने चिकित्सक के समक्ष दिए गए अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुए दिनाँक 13–06–2026 को समय लगभग साढ़े छः बजे अभियुक्त को उसके घर में घुस आने और पीड़िता को जबरदस्ती खींचकर अपने घर ले जाने और कपड़े फाड़ देने और चीख सुनकर मौहल्ले आदि के लोगों के आ जाने पर वहाँ से भाग जाने तथा दिनाँक 14–06–2026 को सुबह पाँच बजे फिर इरफान के आ जाने और उसके साथ जबरदस्ती करने लगने पर पीडिता के चिल्लाने पर **बोतल में कुछ लेकर आने और उसे पिला देने, जिससे उसके गले में जलन होने लगने** और वहाँ से भाग जाने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त केस डायरी के पर्चा

संख्या–8 में पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत **धारा–183 बी०एन०एस०एस०** में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कहा है कि **इरफान उसका पड़ोसी दिनाँक 13–06–2026 की शाम में उसके घर में घुसा** और जबरदस्ती करने लगा। शादी को कहने लगा, उसने मना कर दिया तो उसका हाथ खींचने लगा, फिर पड़ोसी आ गए शोर सुनकर तो भाग गया, फिर 14–06–2026 की सुबह पाँच बजे वह नमाज पढ़ रही थी, मम्मी पापा भाई सब सो रहे थे व नमाज नहीं पढ़त फजर की फिर इरफान उसके घर में घुस आया। नमाज के समय दरवाजा खुला था, फिर उससे जबरदस्ती की, उसके कपड़े फाड़ दिए, **उसे मारा और जबरदस्ती तेजाब पिला दिया**, उसका इलाज चल रहा है, अब जैन हॉस्पिटल में सम्राट हॉस्पिटल चंदौसी में भी एडमिट रही। इसी प्रकार साक्षी पीड़िता की माँ **श्रीमती शाकरा** ने भी अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्त इरफान द्वारा उसकी पुत्री आजरीन के साथ जबरदस्ती करने और उक्त जबरदस्ती का विरोध करने पर **अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री को जबरदस्ती तेजाब पिला देने का भी कथन किया गया है**। पीड़िता के टी०एम०यू० हॉस्पिटल में भर्ती होने का दिनाँक 13–07–2026 एवं डिस्चार्ज होने का दिनाँक 15–07–2026 अंकित है एवं इसके उपरांत जैम हॉस्पिटल मुरादाबाद की डिस्चार्ज समरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पीड़िता दिनाँक 15–07–2026 से दिनाँक 23–07–2026 तक उक्त अस्पताल में भर्ती रही है। पीड़िता की एंडोस्कॉपी रिपोर्ट में **Post Corosive Esophageal Stricture** होना उल्लिखित है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की सक्रिय भूमिका दर्शित की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **इरफान** की ओर से प्रस्तुत यह **अग्रिम** जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।

दिनांक–25–08–2026

J.O.Code–U.P.6516

संजीव कुमार